16/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खरड़ा भारतसिंह में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील पूर्व में तामील शुदा प्राप्त हो चुके है। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेवम स्थापित करवाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेवमबन्दी आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी का नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिंड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेवमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कोमल कुमार हो, दर्ज नम्बर में कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

।।श्री।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, खारड़ा भारतसिंह)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 227 दिनांकः– 16/05/2018

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. श्री जेहाराम पुत्र डूंगराराम वगैरा 3 जातियान्–जाट निवासीयान्–खारड़ा भारतसिंह, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		1. श्री पांचाराम पुत्र खेताराम वगैरा 20 निवासीयान्–खारड़ा भारतसिंह, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 110/18

आदेश

मौजा खारड़ा भारतसिंह पटवार हल्का खारड़ा भारतसिंह के खेत खसरा नम्बर 394, 395, 396, 397 रकबा 00.03, 00.05, 130.08, 01.03 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से, प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 228-32 दिनांकः– 16/05/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का खारड़ा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेहाराम पुत्र डूंगराराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थी श्री पांचाराम पुत्र खेताराम वगैरा 20।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु